रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 8

भेषज विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	42.17	32.70	74.87	152.55	37.95	190.50	55.33	38.25	93.58	168.00	43.04	211.04
	पूंजी	***27.50***	*...*	*27.50*	*22.45*	*0.05*	*22.50*	*22.45*	*0.05*	*22.50*	*20.00*	*0.05*	*20.05*
	जोड़	**69.67**	**32.70**	**102.37**	**175.00**	**38.00**	**213.00**	**77.78**	**38.30**	**116.08**	**188.00**	**43.09**	**231.09**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.12	7.19	7.31	0.25	7.64	7.89	0.20	7.62	7.82	1.00	8.94	9.94
उद्योग													
भेषज उद्योग													
2. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	2852	30.65	20.64	51.29	108.08	24.23	132.31	35.86	24.77	60.63	75.20	27.55	102.75
3. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	0.38	4.86	5.24	2.40	5.88	8.28	2.05	5.81	7.86	4.00	6.35	10.35
4. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.01	0.01	...	0.20	0.20	...	0.05	0.05	...	0.20	0.20
5. भेषज संवर्धन और विकास येाजना (पीपीडीएस)	2852	0.69	...	0.69	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
6. अन्य	2852	10.33	...	10.33	22.32	...	22.32	8.44	...	8.44	67.00	...	67.00
जोड़-भेषज उद्योग		**42.05**	**25.51**	**67.56**	**134.80**	**30.31**	**165.11**	**47.35**	**30.63**	**77.98**	**148.20**	**34.10**	**182.30**
जोड़-उद्योग		**42.05**	**25.51**	**67.56**	**134.80**	**30.31**	**165.11**	**47.35**	**30.63**	**77.98**	**148.20**	**34.10**	**182.30**
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	17.50	...	17.50	7.78	...	7.78	18.80	...	18.80
8. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
8.01 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.03 बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8.05 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण		...	...	...	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	27.50	...	27.50	22.45	...	22.45	22.45	...	22.45	20.00	...	20.00
कुल जोड़		***69.67***	***32.70***	***102.37***	***175.00***	***38.00***	***213.00***	***77.78***	***38.30***	***116.08***	***188.00***	***43.09***	***231.09***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
9.01 हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि.	12857	2.50	...	2.50	6.85	...	6.85	6.85	...	6.85	3.00	...	3.00
9.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	25.00	...	25.00	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	2.00	...	2.00
9.03 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
9.04 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
जोड़		**27.50**	**...**	**27.50**	**22.45**	**...**	**22.45**	**22.45**	**...**	**22.45**	**20.00**	**...**	**20.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. रसायन और भेषज उद्योग	12857	69.55	...	69.55	157.25	...	157.25	69.80	...	69.80	168.20	...	168.20
2. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.12	...	0.12	0.25	...	0.25	0.20	...	0.20	1.00	...	1.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	17.50	...	17.50	7.78	...	7.78	18.80	...	18.80
जोड़		**69.67**	**...**	**69.67**	**175.00**	**...**	**175.00**	**77.78**	**...**	**77.78**	**188.00**	**...**	**188.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर):** इस परियोजना की स्थापना चंडीगढ़ के निकट एस.ए.एस नगर, (मोहाली) में की गई है। इस संस्थान का उद्देश्य भारत में औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का संवर्धन करना तथा भारत में औषधीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करना है। प्रावधान में दैनिक व्यय की पूर्ति हेतु गैर-योजनागत सहायता एवं औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी वर्तमान स्कीमों तथा नई स्कीमों एवं 6 नए नाईपरों की स्थापना हेतु योजनागत सहायता शामिल है। ये 6 नाईपर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं – अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी तथा रायबरेली।

3. **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** वर्ष 1994 में घोषित नई औषधि नीति के अंग के रूप में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई थी जिसका दायित्व औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करना तथा तत्संबंधी कार्य करना है। यह निकाय नियंत्रण बाह्य औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग भी करता है तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। गैर-योजनागत बजट प्रावधान प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है ओर योजनागत सहायता औषधि मूल्यों की मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए है।

5. **औषधि संवर्धन तथा विकास स्कीम (पीपीडीएस):** इस बजट प्रावधान को विभिन्न सेमीनारों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के माध्यम से औषधि संवर्धन को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

6. **अन्य:** 12वीं योजना के दौरान औषध के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास की दिशा में विभिन्न नई स्कीमें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें जन औषधि स्कीम भी शामिल है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु है।

9. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की और उन्हें ऋण देने के लिए है।

9.01. **हिन्दुस्तान एंटीबोयाटिक्स लिमिटेड (एचएएल):** यह उपक्रम 1954 में निगमित किया गया था और इसके निगमन का उद्देश्य देश में जीवन-रक्षक दवाइयों का उत्पादन करना एवं ऐसी दवाइयों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर में तीन परियोजनाएं है। 3 करोड़ रूपए का प्रावधान वीआरएस से संबंधित कार्यकलापों और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए है।

9.02. **बंगाल केमीकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0 (बीसीपीएल):** इस कंपनी के मानिकताला, कोलकाता; पानीहाटी, 24 परगना (उत्तर), पश्चिमबंगाल; मुम्बई, तथा कानपुर (उत्तरप्रदेश) में चार निमार्ण एकक हैं। कंपनी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन, सल्फुयूरिक एसिड, फेरिक एलम, अनेक प्रकार की दवाइयाँ तथा भेषजों का निर्माण और विपणन करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रसाधन सामग्रियों और घरेलू उत्पादों का भी निर्माण और विपणन करती है। 2 करोड़ रूपए का प्रावधान इसकी कई स्कीमों के लिए है यथा टेबलेटों कैप्सूलों तथा आयंटमेंट के लिए संतुलनकारी उपस्करों की स्थापना; ए.आर.वी. तथा डोज कार्य में अन्य वैक्सिनों के लिए निर्माण सुविधाओं की स्थापना; एरोसैल स्प्रे और मीटर्ड डोज इनहेलर निर्माण सुविधाओं की स्थापना; आयुर्वेदिक खंड की स्थापना; आदि।

9.03. **इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि0:** इस समय आईडीपीएल की पुनर्वास योजना विचाराधीन है और आशा है कि वर्ष 2012-13 यथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष आईडीपीएल की पुनरूद्धार योजना के कार्यन्वयन का भी प्रथम वर्ष होगा। 15 करोड़ रूपए का प्रस्तावित परिव्यय आईडीपीएल के पुनरूद्धार से संबंधित कार्यकलापों के लिए है।